>

Title: Need to grant Ownership Rights of land to the people belonging to Sindhi and Bengali communities in Katni and Panna districts of Madhya Pradesh.

श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला (खजुराहो): सभापति महोदय, मैं विस्थापन से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय आपके सामने रखने जा रहा हूं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद जितने भी सिंध प्रांत के सिंधी समाज के लोग और ढाका जो वर्तमान में बंगलादेश है, वहां से विस्थापित हो कर आए हुए बंगाली समाज के अधिकांश लोग मेरी लोकसभा क्षेत्र खुजराहो के अंतर्गत पन्ना और कटनी में आ कर बसे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को बने हुए इतने वर्ष हो चुके हैं, लेकिन पन्ना जिले में जो हमारा बंगाली समाज रह रहा है, न इनके जाति प्रमाण पत्र बन पाए और भारत सरकार के नियमानुसार जो भूमि उनको दी गई थी, आज तक न उनको पट्टे का मालिकाना हक मिल पाया है और न ही कोई काम हुआ है। ऐसी स्थिति में हमारी सरकार की जो भी आरक्षण की नीति है, सरकार जो विभिन्न योजनाएं बना रही है, ऐसी स्थिति में उन लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं कटनी में माधवनगर में हमारे सिंधी समाज का बहुत बड़ा कैम्प था। उन्हें जो आवासीय भूमि के पट्टे दिए गए थे, आज उन्होंने मकान बना लिए हैं, लेकिन जब देखो आरक्षण की आड़ में सिंधी समाज के लोगों को मकान गिराने की धमकी दी जाती है और मकान गिराए जा रहे हैं। यह प्रश्न इसलिए उठाया है, क्योंकि आपके माध्यम से यह सदन ऐसे लोगों को जो विस्थापन के तौर पर हमारे देश में आए थे, उनकी स्थिति आज देश में बदतर हालत में है। हमें उनके बारे में विचार करना चाहिए और केंद्र सरकार को आम आदमी की बात करती है, ऐसी स्थिति में इन लोगों को भारत सरकार की तरफ से जो सुविधा दी गई है, उन्हें मिलनी चाहिए। मेरा आपसे यही आग्रह है।

श्री गणेश सिंह : महोदय, मैं अपने को इस विषय से सम्बद्ध करता हूं।